विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
01- (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि सलेमपुर पतौरा पावरहाउस रहमान खेड़ा लखनऊ के निवासियों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के आधार पर नया विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 मार्च, 2025 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ, तो क्या उपरोक्त पत्रों में जिन जिन व्यक्तियों को नया विद्युत कनेक्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया था उन सभी को नया विद्युत कनेक्शन दिला दिया गया है?	श्रीमती रैसून खातून पत्नी दिलदार पता सलेमपुर पतौरा पावर हाउस एफ०सी०आई० काकोरी (त्रुटिवश रहमान खेड़ा वर्णित है) के परिसर की स्थलीय जांच करायी गयी। परिसर प्लाटिंग क्षेत्र का हिस्सा है एवं वहां कोई विद्युत तंत्र विकसित नहीं है। वर्तमान में अविद्युतीकृत कालोनियों एवं प्लाटिंग क्षेत्र में विद्युत तंत्र विकसित करने हेतु रूपये 70/- प्रति स्क्वायर फुट योजना प्रचलित है। जिसके अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है तथा आवेदनकर्ता को मोबाईल नं0-9621500192 नाम दिलदार को सूचित कर दिया गया है। परिसर के आस-पास नजदीकी एल०टी० लाइन जो लगभग 100 मीटर दूर विद्यमान है से पूर्व में लंबी दूरी के निम्नलिखित तीन संयोजन निर्गत हुए हैं :- (1) सीमा पत्नी पप्पू एकाउट नं0-8175078000 संयोजन दिनांक-30.08.2014 (2) सुनील कुमार शुक्ला पुत्र राम मिलन एकाउंट नं0-2558149000 संयोजन दिनांक 19.02.2019 (3) नसीम उल्ला पुत्र समी उल्ला एकाउंट नं0-7051740002 संयोजन दिनांक 04.05.2019

उक्त तीनों संयोजनों को उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के आदेश स० 1/2025 दिनांक 27.02.2025 में वर्णित निर्देशों के अनुक्रम में आवश्यक डेवलपमेन्ट चार्ज जमा करने हेतु नोटिस दे दी गयी है। उक्त संयोजनों के निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दूरी 40 मीटर, से अधिक दूरी पर भी संयोजन निर्गत किये जाने के कारण, उक्त क्षेत्र के तत्कालीन अवर अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है एवं श्रीमती रैसून खातून को उनके क्षेत्रफल के अनुसार रूपये 70/- प्रति स्क्वायर फुट योजना में डेवलमेन्ट चार्ज को जमा कराने सम्बन्धी टी०सी० धनराशि रू0 123900/- उपलब्ध करा दी गयी है।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रार्थिनी द्वारा उक्त डेवलमेन्ट चार्ज का भुगतान करने के उपरान्त विद्युत तंत्र निर्मित कर संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

ए.के. शर्मा

ऊर्जा मंत्री।